न्यायालय जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या 03/2004/प्रा. पत्र 14(4)

1. देवीसहाय
2. मंगलाराम
3. लक्ष्मण
4. रामस्वरूप

पुत्रगण लादूराम जाति यादव, निवासी–ढ़ाणी कोठी की तन बिहार, नीमकाथाना, जिला सीकर (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1. छाजू
2. तारा
3. बीरबल
4. तहसीलदार नीमकाथाना, सीकर

पुत्रगण चूना, जाति अहीर, निवासीगण ढ़ाणी कुन्डली तन बिहार, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान)

अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु (अलाटमेंट ऑफ लेण्ड फॉर एग्रीकल्चर परपचेज) नियम 1970 बाबत विरूद्व आदेश एस.डी.ओ. नीमकाथाना दिनांक 24.05.1974

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितः– 1. वकील श्री लक्ष्मण सिंह प्रार्थीगण की ओर से।
2. वकील श्री रामसिंह बारेठ अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

सुनवाई दिनांकः 2017 निर्णय दिनांक : 04.12.2017

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा गैर मुमकिन बिना लगानी सिवाय चक भूमि ग्राम बिहार में स्थित है जिसे प्रार्थीगण अपने पिता स्व. लादूराम के जीवनकाल से काश्त करते आ रहे हैं। विवादित बेहड़ भूमि को मेहनत व धन लगाकर समतल किया तथा दोनों फसलें काश्त करते आ रहे हैं। उक्त भूमि का कब्जे काश्त का इन्द्राज सम्वत् 2028 में प्रार्थीगण के पिता स्व. लादूराम के नाम खसरा परिवर्तनशील में दर्ज है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि पर

प्रार्थीगण लगातार काबिज काश्त करते आ रहे हैं। अप्रार्थीगण का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं होते हुए भी उन्होनें पटवारी हल्का से साजिश करके गलत रिपोर्ट के आधार पर धोखे से उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना से जरिये आदेश दिनांक 24.05.1974 भूमि खसरा नम्बर 134 तन बिहार में से 4 बीघा भूमि नियमन करवा ली। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के आदेश दिनांक 24.05.1974 भूमि खसरा नम्बर 134 तन बिहार में से 4 बीघा भूमि नियमन निरस्त फरमावें।

2. प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री रामसिंह बारेठ उपस्थित हुए व जवब आवेदन मय प्राथमिक आपत्ति पेश की।

3. अप्रार्थीगण 1 व 2 की ओर अपने जवाब आवेदन मय प्राथमिक आपत्ति में अंकित किया गया है कि भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा में से 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा, काश्त होने तथा भूमिहीन श्रेणी होने के कारण तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा समुचित कब्जे की जांच कर अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 24.05.1975 में उक्त भूमि अप्रार्थीगण के पक्ष में नियमन करने की रिपोर्ट होने एवं नियमन सलाहाकार समिति की राय के अनुसार नियमानुसार उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के आदेश दिनांक 24.05.1974 को नियमन किया गया है तथा नियमन होने के बाद अप्रार्थीगण के पक्ष में गैर खातेदारी के रूप में 12 वर्षों तक रहने के बाद कब्जे, काश्त की जांच कर अप्रार्थीगण को उक्त भूमि का खातेदारी दी गई। प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कभी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग नहीं रहा है। प्रार्थी संख्या 1 देवीसहाय का पुत्र फूलचन्द तहसील में पटवारी था तथा अब वर्तमान में भू अभिलेख निरीक्षक के पद पर विवदित भूमि के क्षेत्र में कार्यरत है। उसने साजिश रूप से सम्वत् 2028 की खसरा गिरदावरी में कोई गलत अंकन करवा लिया हो तो उससे अप्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है क्योंकि पद का दुरूपयोग कर कोई साजिश कार्यवाही की है तो वह गैर कानूनी है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के अप्रार्थीगण के निकटतम पड़ोसी है तथा भूमि आवंटन होने तथा अप्रार्थीगण के कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग की शुरू से पूर्ण जानकारी थी। इस तथ्य को छुपाकर अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के आशय से काफी वर्षों बाद बिना किसी वैध अधिकार के मियाद बाहर आवेदन पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 की धारा 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें।

4. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 134 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा तन बिहार तहसील नीमकाथाना के किसी भी भाग की भूमि पर अप्रार्थीगण का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है और न ही नियमन के दिन कोई कब्जा था। अप्रार्थीगण ने धोखे से पटवारी हल्का से साजिश कर गलत रिपोर्ट के आधार पर अपने पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना से नियमन आदेश प्राप्त किये हैं। विवादित आराजी खसरा नम्बर 34 तन बिहार खाली भूमि अनओकुपाईड भूमि नहीं थी बल्कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 34 के कुल रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण के पिता लादूराम का था। उक्त भूमि से सीमा जोड़ लगती हुई उत्तरी साईड में प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 135 व 152 है। विवादित भूमि को खसरा नम्बर 135 में मिलाकर संयुक्त रूप से प्रार्थीगण काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नियमन शुदा भूमि पर पूर्व से चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने अप्रार्थीगण के पक्ष में नियमन आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थीगण को कोई नोटिस व सूचना नहीं दी है और न ही उन्हें अपना कोई कथन प्रस्तुत करने का मौका दिया है। अप्रार्थीगण भूमिहीन काश्तकार नहीं है और उनका विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं था और न ही भूमि उनके पक्ष में नियमन आदेश कानुन पारित किये जा सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 20 के अनुसार नियमों व राज्य सरकार के हिदायतों की पालना नहीं की है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के हक में पारित नियमन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का काफी प्रयास किया लेकिन प्रमाणित नकल प्राप्त नही हो सकी तथा दिनांक 14.09.2004 को उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के लिपिक ने इस आशय से रिपोर्ट दी कि सम्बन्धित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के आदेश दिनांक 24. 05.1974 भूमि खसरा नम्बर 134 तन बिहार में से 4 बीघा भूमि नियमन निरस्त फरमावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. वकील अप्रार्थीगण का मुख्य कथन है कि विवादित आराजी भूमि पर अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से काबिज थे तथा अप्रार्थीगण का कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग संयुक्त रूप से था। खसरा गिरदावरी में बड़े भाई होने के कारण नियमन अप्रार्थीगण 2 व 3 के भाई छाजूराम के नाम से हुआ तथा इस बाबत भाईयों में कोई विवाद कभी नहीं रहा। उक्त भूमि नियमन होने के 12 वर्षों तक गैर खातेदारी में रही तथा 1975 में नियमन होने के बाद सन् 1987 में अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के 17–18 वर्षों बाद मिथ्या रूप से आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 की धारा 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें।

7. हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का बगौर अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि :–

(1) खसरा परिवर्तन ग्राम बिहार सम्वत् 2029 से 2032 के कलम संख्या 32 व 40 विवरण विशष एवं अधिकारों, आधिपत्य, भूमिकर तथा राजस्व में परिवर्तन में छाजू, तारा, बीरबल पुत्र चूना अहीर का नाम अंकित है।

(2) जमाबन्दी संख्या 2041–44 ग्राम बिहार के अवलोकन से जाहिर है कि खसरा नम्बर 134/1 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी जरिये नामान्तरकरण संख्या 369 के अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज हुई है। एवं सम्वत् 2049–56 की जमाबन्दी में भी उक्त खसरा नम्बर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी में दर्ज है।

(3) मिलान क्षेत्रफल ग्राम बिहार के अनुसार उक्त खसरा नम्बर 134/1 के साथ खसरा नम्बर 165 रकबा 1.14 है. कायम हुआ है।

(4) प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण संख्या 194 दिनांक 16.08.1976 ग्राम बिहार के अवलोकन से जाहिर है कि आदेश क्रमांक 464–66 दिनांक 24.01.1975 के क्रम में उक्त नामान्तरकरण पटवारी द्वारा भरे जाने पर छाजू, तारा, बीरबल पिसरान चूना अहीर के नाम से स्वीकार किया गया है।

(5) खसरा परिवर्तित संख्या 2028 के अनुसार खसरा नम्बर 134 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा पर लादू पुत्र डालू अहीर की काश्त दर्ज है। इसके आमद में प्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बर के रखे जाने पर कब्जा, काश्त लगातार होन बाबत कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(6) तहसीलदार नीमकाथाना की पत्रावली संख्या 322/1974 के अवलोकन से जाहिर है कि पटवारी द्वारा की गई अतिक्रमण रिपोर्ट सम्वत् 2027–30 बाबत खसरा नम्बर 134 में से 4 बीघा 10 बिस्वा पर छाजू पुत्र चूना का अनाधिकृत कब्जा व काश्त होने पर सलाहाकार समिति द्वारा नियमन किये जाने की स्वीकृति दी गई है। उक्त स्वीकृति के पश्चात जिलाधीश सीकर द्वारा जरिये आदेश क्रमांक 464–66/राजस्व दिनांक 24.01.1975 के द्वारा किस्म परिवर्तन का लगान कायम किये जाने का आदेश पारित जारी किया गया है।

(7) विवादित भूमि का आवंटन दिनांक 24.05.1974 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है। जिलाधीश कार्यालय द्वारा दिनांक 24.01.1975 को भूमि की किस्म परिवर्तन की अनुमति दी गई है। नियम 14(4) के तहत आवंटन तब ही खारिज किया जा सकता है जबकि आवंटी द्वारा तथ्यों को छिपाकर अथवा धोखाधडी से आवंटन प्राप्त किया है।

(8) आवंटी को आवंटित भूमि के नामान्तरकरण संख्या 194 दिनांक 16.08.1976 द्वारा खातेदारी अधिकार दिये जा चुके है। जिससे आवंटी खातेदार काश्तकार हो चुका है एवं उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत खातेदारी के सभी अधिकार प्राप्त हो चुके है। आरआरडी 1986 पेज 138 पार्था बनाम पृथ्वीराज रिवीजन नम्बर 147 में माननीय सदस्य राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 31.12.1985 को व्यवस्था दी है कि किसी भी खातेदार कृषक को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से किसी भी रूप में बेदखल नही किया जाना चाहिए। नियम 14(4) के अन्तर्गत गैर खातेदारी हद तक ही आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

8. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आवंटी खातेदार काश्तकार है एवं उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत खातेदारी के सभी अधिकार प्राप्त हो चुके है। नियम 14(4) के अन्तर्गत गैर खातेदारी हक तक ही आवंटन निरस्त किया जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर